

Registration/22 (Acad.2)

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 30/7/13

क्रमांक //254/681/2013/38-2 उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-2/03/38-2 दिनांक 10.06.2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पीएच.डी हेतु शोध छात्रवृत्ति योजना के नियम/मार्गदर्शन सिद्धांत की कड़िका 10 में राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति योजना में सीट (कोटा) भरने हेतु व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

- (क) अनुसूचित जाति वर्ग के विभिन्न संकायों में वर्तमान प्रक्रिया का पालन यथावत रखा जाये किन्तु किसी संकाय में यदि सीट (कोटा) निर्धारित तिथि तक भी नहीं भर पाती है तब इसी वर्ग के अंतर्गत अन्य संकाय में सीट (कोटा) भरने के पश्चात कोई प्रतिक्षा सूची में आवेदनकर्ता उपलब्ध है, तब गुणानुक्रम (मैरिट) के आधार पर वह सीट (कोटा) उनको आवंटित कर दी जावेगी।
- (ख) उपरोक्त 'क' में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदनकर्ताओं पर भी लागू होगी।
- (ग) उक्त योजना के शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगी।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथ्य आदेशानुसार

(डॉ० महेन्द्र सिंह रघुवंशी)
उप सचिव

म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 30/7/13

पु0क्रमांक 1255/681/2012/38-2
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0।
9. कोषालय अधिकारी जिला भोपाल।
10. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

लेपसा, इ. ए. ए. अ. वि. 0121
9222223123
उच्च शिक्षा

उप सचिव
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग